न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–62 / 2023(जीसीएमएस नम्बर 2023 / 208)

1. धोल्याराम पुत्र गंगोली आयु करीब 45 साल,
2. अखेसिंह दत्तक पुत्र देवीसहाय आयु करीबी 33 साल,
3. जयसिंह पुत्र टूण्डाराम आयु करीब 31 साल,
4. तुलसा पत्नी दामोदर आयु करीब 70 साल,
5. दलबीर पुत्र गंगोली आयु करीब 48साल,
6. मोहनलाल पुत्र दामोदर आयु करीब 50 साल,
7. सोहनलाल पुत्र दामोदर आयु करीब 34 साल, जातियान जाट निवासीयान नारनौल खुर्द तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

---अपीलान्ट्स

बनाम

1. झब्बूराम पुत्र मरदाना आयु करीब 60 साल,
2. तोताराम पुत्र मरदाना आयु करीब 55 साल,
3. बूचाराम पुत्र मरदाना आयु करीब 52 साल,
4. दिनेश पुत्र बुचाराम आयु करीब 22 साल,
5. मुकेश पत्र झब्बूराम आयु करीब 35 साल,
6. रामोतार पुत्र तोताराम आयु करीब 27 साल, जातियान जाट निवासीयान नारनौल खुर्द तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

---रेस्पोडेन्ट्स

7. राजस्थान सरकार बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसीलदार लक्षमणगढ़ जिला अलवर

---तरतीबी रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विजय सिंह राठौड़ एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 07.02.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पाडेन्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 372, 373, 652 की पैमाईश व पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान की प्रार्थना की जिस प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया इसके अतिरिक्त अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 371, 372, 373, 374, 375, 652 वाके ग्राम नारनौल खुर्द की पैमाईश के बारे में निवेदन किया ताकि सभी पक्षों के मध्य विवाद समाप्त हो सके लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाबत भी कोई गौर नही किया। उन्होने आगे कथन किया है कि खसरा नम्बर 373 रेस्पोडेन्ट के कब्जे मुताबिक रिकार्ड 2 बीघा 5 बिस्वा है लेकिन वह गलत नक्शे के आधार पर तीन बीघा जमीन की पैमाईश कराना चाहते है जो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

कानून गलत है तथा रेस्पोडेन्ट के कब्जे की 2 बीघा 5 बिस्वा आराजी के अलावा शेष 15 बिस्वा आराजी पर अपीलान्ट्स के बुजुर्गो के समय से कब्जा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पत्थरगढ़ी के मामलों में भूमि का पहले तहसीलदार के आदेश से सीमाज्ञान होता है। उसके बाद ही उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पत्थरगढ़ी हेतु आवदन पेश किया जाता है किन्तु इस प्रकरण में आज तक भूमि का सीमाज्ञान ही नही हुआ है। इसलिये बिना सीमाज्ञान के पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र कानूनन प्रस्तुत ही नही किया जा सकेता। उन्होने दौराने बहस यह भी कथन किया है कि अगर जमाबंदी में दर्ज खाते अनुसार पत्थरगढ़ी कराते है तो अपीलार्थीगण को कोई आपत्ति नही है लेकिन नक्शे के अनुसार कराते है तो आपत्ति है और यदि दोनों पक्षकारान की आराजी का भी सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराते है तो भी अपीलार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह माना है कि कुछ आराजी पर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को नियमित वाद कब्जा वापसी का पेश करना चाहिये था। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी के जरिये कब्जा प्राप्त करने का रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार नही है क्योंकि सेटलमेन्ट के गलत इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है जबकि रेस्पोडेन्ट गलत इन्द्राज का रेस्पोडेन्ट नाजायज फायदा उठाना चाहते है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2023 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्षमणगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.04.2023 को अपास्त किये जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 373 व 652 रेस्पोडेन्ट की रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है तथा पड़ौसी आराजी खसरा नम्बर 372 के खातेदार अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट की आराजी की डोली तोडते है। इसलिये रेस्पोडेन्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी हेतु आवेदन पेश करना लाजमी होने पर पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण को तलब कर व सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2023 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2023 का अंतिम पैरा बिलकुल क्लीयर आदेश है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि पड़ौसी खातेदारान को सूचना देकर सीमाज्ञान व पत्थरगढी की जावें फिर भी अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने की नियत से अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई जो खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रत्येक खातेदारान को अपनी आराजी व फसल की सुरक्षार्थ सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के कानूनी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व भू राजस्व अधिनियम में प्रदत्त किये हुए है तथा किसी

भी काश्तकारान को राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपनी आराजी के रकबे से अधिक का सीमाज्ञान या पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनन कोई अधिकार प्रदत्त नही है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 652 रकबा 0.1644 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 373 रकबा 0.5690 हैक्टयर जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 में अंकित है जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट को अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के अधिकार उन्हे प्रदत्त है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त खसरा नम्बरान एवं रकबे के अनुसार ही सीमाज्ञान व पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2023 पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बरान 373 व 652 के खातेदारान व इसके लगती हुई आराजी के खातेदारान को सूचित करते हुए उक्त सीमाज्ञान व पत्थरगढी के भी आदेश पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2023 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्षमणगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2023 को यथावत रखा जाता है।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।